



Printed at: 05-06-2026 11:42 AM

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, सदर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- अमित त्रिपाठी
मण्डल : आगरा, जनपद : मथुरा, तहसील : सदर
वाद संख्या :- 14605/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202501500114605
संजय कुमार जैन बनाम अशोक
अंतर्गत धारा :- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वाद संख्या 1434 टी0एम0/2026

मौजा :- सुनरख बांगर
तहसील व जिला मथुरा

निर्णय

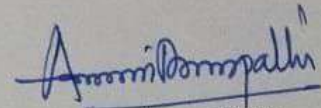
प्रस्तुत वाद उप-निबन्धक मथुरा से प्राप्त विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति के आधार पर दिनांक 17.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया। जो वाद तामिल पत्रावली पर संचित है। पत्रावली पर कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण वाद निर्विवाद है।

लेखपाल आख्यानसार केता विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। केता के पास सम्पूर्ण उ0प्र0 में 12.50 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। पत्रावली पर साक्ष्य पूर्ण है। इस प्रकार प्रश्नगत विक्रय पत्र के आधार पर दाखिल खारिज आदेश पारित करने में कोई विधिक अडचन नहीं है। अतः आदेश हुआ कि:-

आदेश

ग्राम सुनरख बांगर के खाता संख्या 151 खसरा सं0 1196 रकवा 0.817 है0 लगानी 60ख के अनुसार के 1/16 भाग रकवा 0.051062 है0 सम्पूर्ण अंश से विक्रेता अशोक पुत्र धर्मपाल निवासी सुनरख तहसील व जिला मथुरा का नाम निरस्त करके केता मैसर्स अरिहन्त इंफ्राटेक 9 सिविल लाइन मथुरा द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी संजय कुमार जैन पुत्र लोकचन्द जैन निवासी बी-39 मोतीकुंज मथुरा का नाम प्रतिफल की धनराशि 4990000 विलेख संख्या 7224 दिनांक 15.04.2023 के अनुसार वतौर सं0भू0 राजस्व अभिलेख दर्ज हो। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :- 05/6/2026


तहसीलदार, मथुरा